अध्याय - 5

स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण

5.1 दसवें वित्त आयोग से लेकर विगत सभी वित्त आयोगों ने समय-समय पर कुछ परिवर्तनों सहित स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों की अनुशंसा की थी। चौदहवें वित्त आयोग ने पिछले आयोगों से हटकर, अनुदानों की अनुशंसा जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर न करते हुए केवल ग्राम पंचायतों के लिए की थी। शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में नगरपालिकाओं के विभिन्न आकारों के बीच कोई विभेद नहीं किया गया था। स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित अनुदान को ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) एवं शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के बीच 70:30 के अनुपात में वित्तरित किया गया था। इसके अतिरिक्त, चौदहवें वित्त आयोग ने संविधान की पांचवीं एवं छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में स्थित छावनी बोर्डों के लिए भी अनुदानों की अनुशंसा नहीं की थी। आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों को दो भागों में विभाजित किया गया था - बुनियादी अनुदान (शर्त रहित) और निष्पादन अनुदान (सशर्त) जो विधिवत रूप से गठित ग्राम पंचायतों के लिए 90:10 के अनुपात में तथा नगरपालिकाओं के लिए 80:20 के अनुपात में थर।

5.2. वर्ष 2020-21 में स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों पर विचार करते हुए, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने इस विषय पर चौदहवें वित्त आयोग के दृष्टिकोण का अनुसरण नहीं करते हुए हटकर कुछ पहलुओं पर अलग से विचार किया है।

i. पहला, सभी हितधारकों के दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए, हमने पंचायती राज के सभी स्तरों/टियर के लिए अनुदानों की अनुशंसा करने का निर्णय लिया है ताकि गांवों और ब्लॉकों को संसाधनों का संग्रह-सृजित (पूलिंग) करने हेतु सक्षम बनाया जा सके जिससे वे स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों को सृजित कर सकें तथा अपनी कार्यात्मक व्यवहार्यता में सुधार ला सकें।

ii. दूसरा, हमने पांचवी एवं छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों तथा छावनी बोर्ड को अनुदान देने का निर्णय लिया है।

iii. तीसरा, हमने स्वच्छता एवं पेयजल के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आबद्ध (tied) अनुदानों का प्रावधान किया है ताकि स्थानीय निकायों के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सी एस एस), स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशनों के तहत इन प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियों (संघ और राज्य दोनों की हिस्सेदारी) से अधिक की अतिरिक्त निधियों की सुनिश्चितता की जा सके।

iv. चौथा, वर्ष 2025 तक भारत में 38 प्रतिशत शहरीकरण के अनुमान और आर्थिक विकास के साथ शहरीकरण में और अधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तथा सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) के संघटकों की संरचना में परिवर्तन एवं ग्रामीण शहरी प्रवासन को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह मानना है कि स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग अनुदानों में शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी को मध्यम अवधि में क्रमिक रुप से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

v. अंततः, हम इस बात से आश्वस्त हैं कि बड़े शहरों में सामुदायिक प्रभाव (एग्लोमरेशन अफेक्ट) के साथ तेजी से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। अतः देश में पचास "मिलियन प्लस" से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए भिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें दूषित परिवेशी वायु गुणवत्ता, भूजल स्तर में गिरावट और स्वच्छता की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।[1]

---

[1] संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर (श्रीनगर) को छोड़कर देश में मिलियन प्लस आबादी वाले 50 शहर हैं। इन शहरों में शहरी आबादी के 38 प्रतिशत लोग रहते हैं।

5.3 तदनुसार, हम वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित की अनुशंसा करते हैं :

i. **अट्ठाईस राज्यों में स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का कुल आकार रु.** 90,000 **करोड़ है, जो कि आकलित विभाज्य पूल (डिविजिबल पूल) के** 4.31 **प्रतिशत के समतुल्य है, जिसे आयोग द्वारा अपनी पंचाट अवधि के पहले वर्ष के लिए अनुमानित किया है। इसके विपरीत चौदहवें वित्त आयोग ने रु.** 87,352 **करोड़ (वर्ष** 2019-20 **के लिए विभाज्य पूल का** 3.54 **प्रतिशत) का अनुदान स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित किया था।**

ii. राज्यों में स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों का पारस्परिक विभाजन **आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर** 90:10 **के अनुपात में हो सकता है।** (अनुलग्नक 5.1)। शेष आबादी की तुलना में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की धीमी सामाजिक-आर्थिक प्रगति के कारण, हमने यह भी अनुशंसा की है कि स्थानीय निकायों को पन्द्रहवें वित्त आयोग की निधियों का आवंटन करते हुए, राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उच्च आबादी वाले क्षेत्रों पर विशेष जोर देना चाहिए।

iii. **वर्ष** 2020-21 **के लिए, हमारे द्वारा स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित अनुदानों में ग्रामीण स्थानीय निकायों एवं शहरी स्थानीय निकायों का अनुपात** 67.5:32.5 **है।**

iv. **इस नए अंशदायी अनुपात के साथ, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित आवंटन वर्ष** 2020-21 **के लिए रु.** 60,750 **करोड़ है, जो कि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष** 2019-20 **के लिए अनुशंसित रु.** 60,687 **करोड़ के लगभग बराबर है** (अनुलग्नक 5.1)।

v. पंचायतों के सभी स्तरों - गांव, ब्लॉक और जिला - को अनुदान दिए जाएंगे। राज्यों द्वारा पंचायती स्तरों के बीच पारस्परिक वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) की हाल ही में स्वीकृत अनुशंसाओं के आधार पर ग्राम पंचायतों के लिए 70 प्रतिशत से 85 प्रतिशत, ब्लॉक पंचायतों के लिए 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत और जिला पंचायतों के लिए 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत निम्नलिखित बैंड के अनुरूप किया जाना चाहिए। गोवा, सिक्किम और मणिपुर जहां जिला पंचायतों की दो स्तरीय प्रणाली है, वहां आवंटन क्रमशः 70 प्रतिशत से 85 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बैंड में होगा। इसके अलावा, यदि एसएफसी की अनुशंसाएं उपलब्ध नहीं हैं, तब पंचायती राज स्तरों के भीतर पारस्परिक वितरण राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त में इंगित बैंडों के भीतर निर्धारित किया जाना चाहिए।

vi. प्रत्येक स्तर के लिए राज्य-स्तरीय अनुदान निमित्त करने के बाद, राज्य में संबद्ध इकाइयों के बीच पारस्परिक वितरण 90:10 के अनुपात में आबादी एवं क्षेत्रफल के आधार पर या एसएफसी की हालिया स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार किया जाना चाहिए।

vii. राज्यों को राज्य के अंतर्गत आने वाले पांचवी और छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों दोनों के लिए आबादी एवं क्षेत्रफल के आधार पर भी 90:10 के अनुपात में अनुदानों का आवंटन करना चाहिए। संबंधित राज्य सरकार को वर्ष 2020-21 के लिए अप्रैल 2020 के माह में इन अनुदानों को आवंटित करना चाहिए और उक्त की सूचना गृह तथा वित्त मंत्रालय को दी जानी चाहिए।

viii. ग्रामीण स्थानीय निकायों तथा पांचवी एवं छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों के अनुदानों का वितरण बुनियादी अनुदानों एवं आबद्ध अनुदान के रूप में 50:50 के अनुपात में किया जाएगा। बुनियादी अनुदान अनाबद्ध हैं, इसलिए उनका उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर, स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। जबकि आबद्ध अनुदान का उपयोग (क) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को कायम रखने और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण के लिए जा सकता है। स्थानीय निकाय इन आबद्ध अनुदानों को उपरोक्त दो महत्वपूर्ण सेवाओं, प्रत्येक के लिए, यथासंभव आधा-आधा निमित्त करेंगे। तथापि, यदि कोई स्थानीय निकाय किसी एक श्रेणी की आवश्याकताओं को पूरा कर चुका है, तो वह इन निधियों को अन्य श्रेणी के लिए उपयोग कर सकता है।

ix. **शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2020-21 में अनुशंसित कुल अनुदान रु. 29,250 करोड़ हैं, जबकि चौदहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए रु. 26,665 करोड़ की अनुशंसा की थी (अनुलग्नक 5.2)।**

x. शहरों के संबंध में भिन्न दृष्टिकोण के साथ, हमने शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है: (क) दिल्ली और श्रीनगर को छोड़कर पचास "मिलियन प्लस" से अधिक आबादी वाले शहरी समुदायों/शहरों, और (ख) एक मिलियन (दस लाख) से कम की आबादी वाले सभी अन्य शहर और नगर। तत्पश्चात राज्यों के भीतर उक्त शहरी श्रेणियों के लिए आबादी के आधार पर अनुदानों की अनुशंसा की है। "मिलियन-प्लस" आबादी वाले शहरों के लिए वर्ष 2020-21 हेतु रु. 9,229 करोड़ की अनुशंसा की है, और अन्य के लिए रु. 20,021 करोड़ की अनुशंसा की है (अनुलग्नक 5.2)।

xi. "मिलियन-प्लस" आबादी वाले शहरों/शहरी समुदायों (urban agglomertions) हेतु, वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों का अनुशंसित शहर-वार वितरण आबादी के आधार पर है। शहरी समुदायों के संबंध में, जिसके अंतर्गत एक "मिलियन-प्लस" आबादी वाले अधिक शहर हैं, संबंधित राज्य सरकार शहरी समुदायों के भीतर सभी संबंधित इकाइयों के परामर्श से अनुदान प्राप्त करने हेतु एक शहरी स्थानीय निकाय को नोडल इकाई के रूप में नियुक्त करेंगे। नोडल इकाई की जिम्मेदारी समस्त शहरी समुदाय के लिए निष्पादन संकेतकों को हासिल करने की भी होगी (अनुलग्नक 5.3)।

xii. राज्यों को अपने क्षेत्र के अंतर्गत छावनी बोर्डों के लिए भी आबादी के आधार पर अनुदानों का आवंटन करना चाहिए। सत्तरह राज्यों में उनसठ बोर्डों की आबादी-वार सूची अनुलग्नक 5.4 में दी गई है। "मिलियन-प्लस" आबादी वाले शहरों के अलावा, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को अनुदानों का वितरण हाल ही में एसएफसी द्वारा अनुशंसाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। छावनी बोर्डों के लिए अनुदानों के वितरण हेतु एफएफसी की अनुशंसाओं को आवश्यकतानुसार संशोधित किया जाना चाहिए। यदि किसी निश्चित श्रेणी के भीतर वितरण के लिए एसएफसी की सिफारिश उपलब्ध नहीं है, तब आवंटन आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात में किए जाने चाहिए।

xiii. "मिलियन-प्लस" आबादी के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एवं सीसी) नोडल एजेंसी के रूप में राज्य सरकारों के परामर्श से परिवेशी वायु गुणवत्ता PM10 और PM 2.5 के सकेंद्रण की वार्षिक औसत के आधार पर, शहर-वार अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) एवं वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित करेगा। मंत्रालय संबंधित शहरों के लिए सुधार हेतु मूल्यांकन कर, उसके आधार पर अनुदानों के संवितरण की अनुशंसा करेगा। एमओईएफ एंड सीसी अप्रैल 2020 की शुरुआत में बेंचमार्कों को प्रकाशित करेगी। परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हम वर्ष 2020-21 में रु. 4,400 करोड़ की अनुशंसा करते हैं (अनुलग्नक 5.3)। इस अनुदान को दो बराबर की किस्तों में जारी किया जाएगा। पहली किस्त का उपयोग वायु गुणवत्ता में सुधार लाने से संबंधित उपायों के लिए किया जा सकेगा, जिसमें "मिलियन प्लस" आबादी वाले शहर/समुदाय के भीतर स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण, और परिवेशी वायु गुणवत्ता के अनुवीक्षण में स्थानीय निकायों को पर्याप्त रूप से सहायता देने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी शामिल है। एमओईएफ एवं सीसी से अपेक्षा की जाती है कि एक परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुवीक्षण नेटवर्क की स्थापना करे, स्रोत विभाजन संबंधी अध्ययन करे तथा पचास "मिलियन प्लस" आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों के लिए वायु गुणवत्ता डाटा को मंत्रालय की वेबसाइट पर समयबद्ध रूप से अपडेट करे। "मिलियन प्लस" आबादी वाले शहरों में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए, दूसरी किस्त का वितरण जनवरी 2021 में वायु गुणवत्ता में वर्ष-दर-वर्ष सुधार के आधार पर विनिर्दिष्ट निष्पादन- आधारित परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाएगा (अनुलग्नक 5.5)।

xiv. शहरों में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने से संबंधित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में, शेष विभाज्य निधि को दो भागों में बराबर विभाजित किया जाएगा। शहरों को इसकी पचास प्रतिशत राशि का विभाजन

इस प्रकार किया जाएगा ताकि शीर्ष निष्पादकों (5 प्रतिशत से अधिक सुधार लाने वाले) को राशि का 40 प्रतिशत प्राप्त होगा, दूसरे शीर्ष निष्पादकों (4 से 5 प्रतिशत सुधार लाने वाले) को 35 प्रतिशत तथा तीसरे शीर्ष निष्पादकों (3 से 4 प्रतिशत सुधार लाने वाले) को राशि का 25 प्रतिशत प्राप्त होगा। एमओईएफ एवं सीसी तथा राज्य सरकारों के परामर्श से 50 प्रतिशत शेष निधियों का वितरण कम "मिलियन-प्लस" आबादी वाले शहरों के बीच उनकी आबादी के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। आठ "मिलियन-प्लस" आबादी वाले एग्लोमरेशन, यानी केरल के कन्नूर, कोची, कोल्लम, कोझीकोड, मल्लापपुरम तिरुवनंतपुरम एवं त्रिशूर और तमिलनाडु के कोयंबटूर, जहाँ आंशिक रूप से स्थानीय कारणों के चलते वायु गुणवत्ता की कोई समस्या नहीं है, पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों की पूर्ण राशि का उपयोग जल के संरक्षण, आपूर्ति एवं प्रबंधन तथा प्रभावकारी अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने के लिए कर सकते हैं।

xv. हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 'श्वास लेने में सहजता' के मुद्दे पर गहन चिंतन कर, विशेष रुप से प्रत्येक वर्ष अक्तूबर-नवंबर में होने वाले प्रदूषण के बहुत ही खतरनाक स्तरों को भी ध्यान में रखा है। प्रदूषण के अनेक कारणों में से एक मुख्य कारण है पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में फसल अवशेषों को जलाया जाना। प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए हम दिल्ली के लिए आवंटन करने में असमर्थ हैं क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण बहुत ही विलक्षण है क्योंकि एनसीआर में प्रदूषण का खतरा इन तीन पड़ोसी राज्यों से आने वाली प्रदूषित वायु के कारण होता है। अतः हम यह अनुशंसा करते है संघ सरकार को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना विकसित करने, उसे कार्यान्वित करने और उसका अनुवीक्षण करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करे जिसमें वित्त मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें शामिल होंगी।

xvi. "मिलियन-प्लस" आबादी वाले शहरों के लिए, जल संक्षरण, जलापूर्ति एवं प्रबंधन तथा प्रभावकारी अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने हेतु रु. 4,829 करोड़ निमित्त किए गए हैं (अनुलग्नक 5.3) जो योजनागत शहरीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। जल प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएच एवं यूए), एक नोडल मंत्रालय होने के नाते राज्य सरकारों के परामर्श से वर्ष 2020-25 के लिए शहर-वार और वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित करेगा और ऐसे शहरों के लिए अनुदानों के संवितरण की अनुशंसा करेगा। लक्ष्य निर्धारित करते हुए आधार वर्ष की तुलना में सुधार लाने पर विशेष बल दिया जाए ताकि उत्तरोत्तर वर्ष 2020-21 के पश्चात आगामी वर्षों के दौरान निष्पादन में कमी की भरपाई करने हेतु उन्हें प्रोत्साहन दिया जा सके। वर्ष 2020-21 के लिए, हमारे द्वारा अनुशंसित रु. 4,829 करोड़ के अनुदान को जारी करने हेतु कोई शर्त नहीं रखी गई है, परंतु राशि को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जल प्रबंधन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने तथा स्टार रेटिंग हासिल करने की लिए ही खर्च किया जाएगा। वर्ष 2020-21 में, राज्यों को क्षमता निर्माण के लिए तथा सेवा स्तरीय मानदंडों की पूर्ति करने के लिए बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों से निपटने हेतु एक विस्तुत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी होगी। (सूची का विवरण अनुलग्नक 5.6 में दिया गया है)।

xvii. "मिलियन-प्लस" आबादी वाले शहरों के अलावा, अन्य शहरों के स्थानीय निकायों के लिए, हम रु. 20,021 करोड़ के आबद्ध आवंटन की अनुशंसा करते हैं, जिन्हें दो समान भागों में - 50 प्रतिशत बुनियादी अनुदान और 50 प्रतिशत अनुदान (क) पेयजल (वर्षा जल संचयन एवं पुनर्चक्रण सहित) और (ख) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निमित्त आवंटन (अनुलग्नक 5.6)। ये शहरी स्थानीय निकाय प्रत्येक इन दो महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए आबद्ध अनुदानों के आधे भाग को अलग से निमित्त करेगी। यह राशि संबद्ध सीएसएस, यानी स्वच्छ भारत मिशन एवं अटल पुनरुद्धार और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरुत) तथा राज्य में कार्यान्वित की जा रही इस प्रकार की समान अन्य योजनाओं से प्राप्त निधियों के अतिरिक्त होगी। इन अनुदानों का उपयोग उपरोक्त योजनाओं में संघ और राज्य सरकार द्वारा अपनी-अपनी हिस्सेदारी हेतु संपूरक के रुप में नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि कोई स्थानीय

निकाय किसी एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो वह इन निधियों को अन्य श्रेणी के लिए उपयोग कर सकता है।

xviii. उपर्युक्त अनुशंसाओं का सार निम्नवत है :

कुल अनुदान	अनुदानों का स्वरुप	संवितरण की प्रक्रिया
	ग्रामीण स्थानीय निकाय	
रु. 60,750 करोड़	50 प्रतिशत बुनियादी अनुदान 50 प्रतिशत आबद्ध अनुदान : जो (क) स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना, और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन तथा जल के पुनर्चक्रण के लिए है।	पंचायती राज स्तरों - ग्राम, ब्लॉक और जिला - के बीच पारस्परिक वितरण एसएफसी की हाल ही में स्वीकृत अनुशंसाओं के आधार पर तथा ग्राम, ब्लॉक और जिले के लिए क्रमशः 70 प्रतिशत से 85 प्रतिशत, 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत और 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बैंड के अनुसार होना चाहिए। गोवा, सिक्किम और मणिपुर जहां केवल ग्राम और जिला पंचायतों की दो स्तरीय प्रणाली है, उनके बीच आवंटन 70 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तिथा 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बैंड में किया जाएगा। यदि एसएफसी की अनुशंसाएं उपलब्ध नहीं हैं, तब पंचायत स्तरों के अंतर्गत पारस्परिक वितरण राज्यों द्वारा उपरोक्त में उल्लिखित बैंडों के भीतर किया जाना चाहिए। राज्य के भीतर पांचवी और छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों को अनुदान उनकी आबादी एवं क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात किया जाना चाहिए।
	शहरी स्थानीय निकाय	
"मिलियन प्लस" आबादी वाले शहर/समुदाय परिवेशी वायु गुणवत्ता - रु. 4,400 करोड़।	परिवेशी वायु गुणवत्ता-संस्थाओं में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने संबंधी उपायों के लिए 50 प्रतिशत; वायु गुणवत्ता में वर्ष-दर-वर्ष सुधार लाने के लिए 50 प्रतिशत निष्पादन आधारित।	"मिलियन-प्लस" आबादी वाले शहरों/शहरी समुदायों के लिए, वर्ष 2020-21 में अनुदानों का शहर-वार वितरण आबादी के आधार पर है (अनुलग्नक 5.3)।
सेवा स्तरीय मानदंड रु.4,829 करोड़	सेवा स्तरीय मानदंड : जल प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्टार रेटिंग हासिल करने के लिए 100 प्रतिशत आबद्ध अनुदान।	
"मिलियन प्लस" आबादी वाले शहरों के अलावा रु. 20,021 करोड़	50 प्रतिशत बुनियादी अनुदान 50 प्रतिशत आबद्ध अनुदान : (क) पेयजल (वर्षा जल संचयन तथा जल का पुनर्चक्रण), और (ख) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	एसएफसी की हाल ही में अनुशंसाओं के आधार पर। यदि किसी विशेष श्रेणी के भीतर वितरण के लिए एसएफसी की सिफारिश उपलब्ध नहीं है, तो आवंटन 90-10 के अनुपात में आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर किया जाना चाहिए। राज्यों को अपने क्षेत्रों के भीतर स्थित छावनी बोर्डों के लिए आबादी के आधार

कुल अनुदान	अनुदानों का स्वरुप	संवितरण की प्रक्रिया
		पर अनुदान का आवंटन भी करना चाहिए।

xix. सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों ("मिलियन-प्लस" आबादी वाले शहरों की श्रेणी को छोड़कर) के लिए अनुदान दो बराबर की किस्तों में जून 2020 और अक्तूबर 2020 में जारी किए जाएंगे। "मिलियन-प्लस" आबादी वाले शहरों/शहरी समुदायों के लिए, संबंधित अनुदानों का वितरण एमओएचयू एवं एमओईएफ एवं सीसी की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाएगा।

xx. राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता संघ सरकार से प्राप्त करने के दस कार्य दिवस के भीतर अंतरित करेंगे। दस कार्य दिवस के बाद किसी भी विलंब की स्थिति में राज्य सरकार को अनुदान सहायता ब्याज के साथ जारी करनी होगी और ब्याज की राशि पिछले वर्ष के लिए बाजार उधारों/राज्य विकास ऋणों (एसडीएलएस) पर प्रभावी ब्याज दर पर आधारित होगी।

xxi. स्वशासी स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं के राजस्व जुटाने के विषयों पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। इससे बेहतर स्वामित्व और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व जुटाने के लिए संपत्ति कर लगाना एक अति प्रभावकारी साधन है। ऐतिहासिक कारणों तथा निहित हितों के कारण भारत में संपत्ति कर से उपार्जन नगण्य है। हम यह अनुशंसा करते है कि वर्ष 2021-22 में शहरी स्थानीय निकायों के लिए किसी भी अनुदान की पात्रता हेतु राज्यों को न्यूनतम दर (फ्लोर रेट) पर्याप्त रूप से अधिसूचित करनी होंगी और तत्पश्चात राजस्व संग्रहण में स्वयं के जीएसडीपी की विकास दर के अनुरूप लगातार सुधार करना होगा।

xxii. स्थानीय निकाय स्तर पर अलग से और राज्य एवं अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त रूप से लेखापरिक्षित लेखाओं की समय पर उपलब्धता न होना एक निरंतर समस्या रही है जिसे पिछले आयोगों द्वारा भी उजागर किया जाता रहा है। हमारा मानना है कि वैयक्तिक स्थानीय निकायों की लेखापरिक्षित लेखाओं की लेखापरीक्षा से पहले और उसके बाद उपलब्धता ऑनलाइन होनी चाहिए और राज्य एवं अखिल भारतीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण सुधार का एजेंडा चलाया जाना चाहिए। आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचों के साथ इनपुट स्तर पर यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राप्ति या व्यय के आवश्यक विवरण उपलब्ध कराए जाएं ताकि डाटा की उपयुक्त प्रोसेसिंग कर विभिन्न अपेक्षित रिपोर्टों को सृजित किया जा सके।

xxiii. इस संदर्भ में, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए यह आवश्यक है कि वे वर्तमान में चार स्तरों की लेखा प्रणाली के बजाय, पंचायती राज संस्था लेखाकरण सॉफ्टवेयर (प्रिया सॉफ्ट) प्रणाली के अपग्रेडेड अकाउंटिंग कोड स्ट्रक्चर में तथा संघ और राज्य सरकारों द्वारा अंगीकृत छह-स्तरीय स्ट्रक्चर में परिवर्तन करें। इसके अलावा, उपरोक्त अपग्रेडेड प्रिया सॉफ्ट को राज्य सरकारों की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस.), जिस राज्य में भी यह प्रणाली लागू हो, और लेखा महानियंत्रक (सीजीए) की लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) के साथ एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा ऑनलाइन लेखा सृजित किए जा सकें, लेखाओं की ऑनलाइन लेखापरीक्षा की जा सके और राज्य एवं अखिल भारतीय स्तर पर उनको समेकित किया जा सके।

xxiv. शहरी स्थानीय निकायों के लिए, एमओएचयूए द्वारा विकसित राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली (एनएमएएम) के अनुसार, सभी राज्य सरकारों को राज्य विशिष्ट नगरपालिका लेखा नियमावलियां बनानी होगी। अतः, वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय एनएमएएम या एनएमएएम आधारित राज्य विशिष्ट नियमावलियों का अनुसरण कर रहे हैं। प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के लिए जरूरी है कि वे आईएफएमआईएस/पीएफएमएस के एकीकरण के पश्चात उपयुक्त आईटी टूल्स का प्रयोग कर ऑनलाइन लेखा सृजित करें। एमओएचयूए इन ऑनलाइन लेखाओं को कॉमन प्लेटफॉर्म में रखेगा और इस प्रकार राज्य एवं अखिल भारतीय स्तरों पर लेखापरीक्षा से पहले और उसके बाद समेकित लेखाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

xxv. उपर्युक्त के आधार पर, यह प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहला, प्रिया सॉफ्ट और एनएमएएम प्रणालियों का राज्य स्तरीय आईएफएमआईएस के साथ और उसके बाद पीएफएमएस में एकीकृत किया जाएगा ताकि संपूर्ण एकीकरण किया जा सके। वर्ष 2020-21 में, सीएजी के मार्गदर्शन के तहत, संबंधित मंत्रालय और सीजीए 31 मार्च

2021 से पहले राज्यों के लिए प्रायोगिक आधार पर एक एकीकृत लेखा अनुरक्षण प्रणाली विकसित करेंगे, जैसा कि उपरोक्त में उल्लेख किया गया है, और इस प्रणाली को तैयार कर 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाना चाहिए।

*****